

न्यायालय—श्रीमती विनीता गुप्ता मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला सीहोर (म.प्र.)

क्रमांक— ८१७ / मु०न्या०म० / २०२५

सीहोर, दिनांक—16.12.2025

॥ विविध आदेश ॥

दिनांक—29.11.2025 को पारित रिमाण्ड आदेश अनुसार श्रीमती ऋचा जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आष्टा को दिनांक—28.12.2025 की रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जाना थी किन्तु उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवश्यक कार्य से दिनांक—28.12.2025 को मुख्यालय से बाहर जाना है। जिस हेतु उनके द्वारा श्रीमती ऋचा शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आष्टा से दिनांक—21.12.2025 की रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु आपसी सहमती ली गई है।

अतः दिनांक—28.12.2025 को श्रीमती ऋचा शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आष्टा द्वारा एवं दिनांक—21.12.2025 को श्रीमती ऋचा जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आष्टा द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी।

उक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट निम्नांकित दर्शित तिथि को अपराह्न 3:00 बजे से 5:00 बजे तक उनके न्यायालय में आसीन होकर रिमाण्ड एवं आवश्यक आपराधिक (न्यायिक) कार्य संपादित करेंगे।

(श्रीमती विनीता गुप्ता)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला—सीहोर (म.प्र.)

प्रतिलिपि :-

- 1— श्रीमान् प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, सीहोर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- 2— श्रीमती ऋचा शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आष्टा, जिला—सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 3— श्रीमती ऋचा जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आष्टा, जिला—सीहोर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
- 4— सिस्टम ऑफिसर जिला सीहोर की ओर संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट के ई-मेल पर प्रसारित किये जाने हेतु प्रेषित।
- 5— सहायक लोक अभियोजन अधिकारी आष्टा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

SD/-
(श्रीमती विनीता गुप्ता)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला—सीहोर (म.प्र.)

o/c